

107 द. प्र. स. 0

कार्यवाही खाता

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

मोरखोर सरकार
बनाम

मौ० शब्बीर अंसारी वी०

14-20/2018 आदेश पत्रक

6/3/18

अभिलेख संख्या :- एम. 20 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 10/18

65
6/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- ~~शब्बीर~~ लोहार टोली
के अवसर पर विधि व्यवस्था हेतु ।

जिससे संभ्रमना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या
विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक
परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।


अतः मैं अनुमंडल
दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स.
की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना
निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए
उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों
के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 14/3/18 को उपस्थापित करें ।

6/3/2018
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

16/03/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थिति शो मी वर्ष 2018
कारिश्ना संपल दी पुवा ए। अतः वाद दो
समाप्त विना जाता ए।


16.03.19